न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : डॉ.गुंजन सोनी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. 94/2022 **GCMS No. 2022/94**

अपीलांट–

01.श्रीमती कंचन पंवार बेवा गोविन्दराम निवासी डी 385 सरस्वती नगर बासनी जोधपुर जिला जोधपुर

02. नीता पंवार पुत्री गोविन्दराम पत्नी मनोज खीचीं जातियान नाई निवासी कृषि मण्डी के पास बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

बनाम

उत्तरदातागण–

1.तहसीलदार पचपदा जिला बालोतरा
2.हरनारायण पुत्र तुलसाराम उर्फ तुलसीराम जाति नाई निवासी मकान नं. 162 ए कृष्ण मंदिर की दूसरी गली, भगत की कोठी जोधपुर
3. रूपाराम पुत्र अमराराम जाति नाई निवासी नागाणा तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा
4. लूणाराम पुत्र अमराराम जाति नाई निवासी हाईकोर्ट कॉलोनी जोधपुर जिला जोधपुर
5. हेमाराम पुत्र अमराराम जाति नाई निवासी समदड़ी रोड़ बालोतरा तहसील पचपदरा
6. गिरधारीराम पुत्र अमराराम जाति नाई निवासी नागाणा तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा
7. नारायणराम पुत्र अमराराम जाति नाई निवासी नागाणा तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा
8. बालूराम पुत्र बुधाराम जाति नाई निवासी नागाणा तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा

प्रथम राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश तहसीलदार पचपदरा द्वारा अन्तर्गत धारा 53 (2) आर.टी.ए. आपसी सहमति बंटवाडा आदेश दिनांक 27.05.2015 के द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
उतरदाता एवं उतरदाता के अधिवक्ता अनुपस्थित।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

आदेश

दिनांक :– 22.04.2025

अपील प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने सहायक कलेक्टर बालोतरा में वर्तमान अपील प्रकरण के रेस्पोडेंट के विरूद्ध राजस्व वाद हेतु घोषणा, बंटवाड़ा एवं स्थायी 3निषेधाज्ञा व्यायादेश का वाद संख्या 108/2010 पेश किया जो वक्त प्रस्तुतीकरण अपील विचाराधीन था। वादपत्र के साथ आवश्यक प्रकृति का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 212 रा.का.अ. हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण संख्या 76/2010 पेश किया, विवादित भूमि अपीलांट के हकपूर्वाधिकारी तुलसीराम के सहखातेदारी कब्जाकास्त की थी, अपीलांट के संयुक्त कब्जा कास्त में दखल हस्तक्षेप करने एवं बिना विधिवत बंटवाड़ा करवाये कृषि भूमि को अकृषि कार्य कर आगे बेचान नहीं करने इत्यादी को रोकने के लिये पेश किया, ऐसे विविध प्रकरण में अपीलांट को सुनकर दिनांक 18.08. 2010 को अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की, ताबाद उक्त अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा को दिनांक 30.04.2012 को पुख्ता किया गया यानि मूल वाद के बिचाराधीन रहते अपीलाधीन भूमि खसरा संख्या 362, 245, 248, 249 के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति हेतु पाबंद किया गया, उक्त आदेश की पूर्ण जानकारी रेस्पोडेंटान को दिनांक 20.02. 2011 से बखूबी रही व है, क्योंकि रेस्पोंडेट पर उक्त प्रकरणों की तामिल दिनांक 20.02. 2011 को हो गयी थी। वाद के विचाराधीन रहते तथा अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रभावी रहते वर्तमान प्रकरण के रेस्पोडेंटान ने अधिनस्थ तहसीलदार के समक्ष दिनांक 27.05.2015 को सहमती से विभाजन का आवेदन पेश

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

किया जो उसी दिन अपीलाधीन आदेश के जरिये स्वीकृत कर दिया गया, जबकि उस रोज सहायक कलेक्टर बालोतरा का स्थगन आदेश प्रभावी था। अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से निरस्त अपास्त किये जाने योग्य है। इस हेतु वर्तमान अपील प्रस्तुत की।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेटान को जरिये समन तलब किया, रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से दिनांक 12.10.2022 को अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी, ताबाद उक्त प्रकरण दिनांक 27.12.2022 को न्यायालय हाजा नवसृजित होने से अन्तरित होकर प्राप्त हुआ, जिसे पुनः दर्ज किया गया, अपीलांट की ओर से तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये, तंदोपरान्त रेस्पोडेंट को पुनः जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया किन्तु रेस्पोडेंट संख्या 2 के अलावा अन्य कोई रेस्पोडेंट असालतन या वकालतन उपस्थित नहीं आये, ताबाद रेस्पोडेंट को सुनवाई हेतु दिनांक 06.08.2024 को पत्रावली बहस हेतु मुर्करर की, ताबाद दिनांक 04.03.2025 को रेस्पोडेंट व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहने के उपरांत भी सुनवाई हेतु अंतिम अवसर दिया गया, किन्तु उसके उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर अपीलांट के अधिवक्ता की बहस एकपक्षीय सुनी गयी।

अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी अपीलांट को नहीं होने दी और न उसकी कोई लिखित सूचना ही दी इस कारण ऐसे अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नहीं होने से विधिक कार्यवाही नहीं हो सकी, दिनांक 02.08.2022 को राजस्व रेकर्ड की नकले मूल वादपत्र की पैरोकारी हेतु पटवारी से अपीलांट द्वारा प्राप्त की जब प्रथम बार उक्त तथ्य की जानकारी हुई कि स्थगन आदेश प्रभावी रहते रेकर्ड की स्थिति में परिवर्तन किया गया, उक्त अपीलाधीन आदेश अपीलांट के विधिक हको के प्रतिकूल होने से अपीलांट के विधिक हक प्रभावित होंगे, अपीलांट न्याय से महरूम रह जायेगे, इसलिये अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करना न्यायहित में आवश्यक है, साथ ही अपीलांट ने धारा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर अभिवचन किया कि वादपत्र के विचाराधीन रहते स्थगन आदेश का उल्लघंन कर अपीलाधीन आदेश एंकाकी एकपक्षीय तौर से पारित किया गया, स्थगन आदेश के प्रभावी रहते रेकर्ड की स्थिति में परिवर्तन किया गया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रकरण जहां गुणावगुणों पर सुढढ हो वहां तकनीकी आधार पर मामले का निस्तारण नही कर गुणावगुणों पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिये, अपीलांट की ओर से अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सदभाविक है, यदि उक्त देरी को विहित नहीं किया जाता है तो अपीलांट के विधिक हक प्रतिकूल रूप से प्रभावी होगें तथा अपीलांट न्याय से महरूम भी रह जायेंगा, इसलिये अपीलांट की अपील अंदर म्याद शुमार करना न्यायहित में आवश्यक है. उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में अपीलांट ने शपथपत्र भी पेश किया।हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन किया, संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि भूमि खसरा संख्या 362 रकबा 19.08 बीघा मौजा थोरियों की ढ़ाणी एवं खसरा संख्या 245 रकबा 25.13 बीघा, खसरा संख्या 248 रकबा 0.12 बीघा, खसरा संख्या 249 रकबा 38.14 बीघा मौजा रामदेवपुरा के संबंध में सहायक कलेक्टर बालोतरा में दिनांक 11.08.2010 से प्रकरण विचाराधीन रहे है जिसमें सहायक कलेक्टर बालोतरा के द्वारा दिनांक 18.08.2010 को अंतरिम अस्थायी निषेद्याज्ञा भी जारी की हुई है, उक्त अंतरिम निषेद्याज्ञा के प्रकरण संख्या 76/2010 का अंतरिम निस्तारण दिनांक 30.04.2012 को हुआ जिसमें मूल वाद के निर्णय निस्तारण तक रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति रखने का आदेश पारित हुआ, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलांट व वर्तमान प्रकरण के रेस्पोडेंटान के मध्य प्रकरण अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.05.2015 से पूर्व ही विवाद विध्यमान था तथा सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश भी जारी हो रखा था, उक्त अपील से संबंधित भूमियों के संबंध में अपीलांट ने नियमित वाद भी न्यायालय में प्रस्तुत किया था, अधिनस्थ तहसीलदार के समक्ष सहमती से बंटवाड़ा करने का आवेदन पेश किया, उसमें प्रकरण विचाराधीन होने बाबत कोई कथन नहीं किया गया, जबकि वर्तमान प्रकरण के रेस्पोडेंटान को प्रकरण के तथ्यों की जानकारी बखूबी रूप से थे. ऐसी स्थिति में वर्तमान अपील से संबंधित भूमियों में अपीलांट के विधिक हक निहित होने से अपील प्रस्तुत करने की अनुमति देना न्यायहित में होने से अपील प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दी जाती है।

न्यायालय अपर कलक्टर बालोतरा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

चूंकि प्रकरण में अपीलांट को किसी प्रकार की कोई सूचना या जानकारी अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व नहीं दी गयी थी तथा विवाद उससे पूर्व ही विध्यमान था इसलिये अपील प्रस्तुत करने में अपीलांट ने जो देरी कारित की है वो सदभाविक प्रतीत होने से धारा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अंदर म्याद शुमार की जाती है, क्योंकि उसका कोई खण्डन रेस्पोडेंट की ओर से लिखित या मौखिक तौर से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है।

अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस प्रकरण के गुणावगुणों पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया कि जो मूल वाद संख्या 108/2010 सहायक कलेक्टर बालोतरा में अपीलांट के अधिकारों की घोषणा का वक्त अपील विचाराधीन था, उसका अंतिम निस्तारण दिनांक 26.02.2024 को हो चुका है, जिसके तहत अपीलांट को उक्त भूमि में खातेदार घोषित किया गया है, साथ ही उन्होने सहायक कलेक्टर बालोतरा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.02.2024 के निर्णय की प्रति भी पेश की और निवेदन किया कि चूंकि वक्त अपीलाधीन आदेश स्थगन आदेश प्रभावी था और वाद विचाराधीन था, अब वाद का भी अंतिम निस्तारण हो चुका है, अपीलाधीन आदेश स्थगन आदेश के प्रभावी रहते पारित किया गया था, ऐसी स्थिति में न्यायहित में अपीलाधीन आदेश को यथार्थस्वरूप में कायम रखना उचित नहीं है, इसलिये अपील स्वीकार की जावें।

हमने बहस पर गौर क्रिया पत्रावली एवं दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि पक्षकारान के मध्य अपीलाधीन आदेश से संबंधित भूमि के संबंध में पूर्व में प्रकरण सक्षम न्यायालय में विचाराधीन थे, जिसका अंतिम निस्तारण अपीलांट के हक में हुआ, इस कारण अपील गुणावगुणों पर सुदृढ एवं सशक्त है, सहायक कलेक्टर बालोतरा द्वारा दिनांक 26.02.2024 को पारित निर्णय किसी अपील न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक निरस्त, अपास्त किया गया हो, ऐसा कोई तथ्य/दस्तावेज पत्रावली पर विध्यमान नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः बाद उपरोक्त विवेचन अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ तहसीलदार पचपदरा के द्वारा दिनांक 27.05.2015 को कमांक/राजस्व/09/14 को पारित आदेश बाबत पटवार मण्डल नागाणा, ग्राम रामदेवपुरा, थोरियों की ढ़ाणी के खाता संख्या 56, 65, 92 संवत् 2068–2071 के खसरान के संबंध में पारित विभाजन आदेश निरस्त, अपास्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ गुंजन सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बालोतरा

न्यायालय अधर कलक्टर
बालोतरा (राज.)